

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

## स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के फेज-II "अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि परीक्षण (Hindi/English Shorthand Test)" परीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश

स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के फेज-II की परीक्षा "अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि परीक्षण (Hindi/English Shorthand Test)" दिनांक 29.10.2021 से दिनांक 31.10.2021 तक ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इन पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापित क्रमांक प. 14(68)RSMSSB/अर्थना/शीघ्र.लि./भर्ती/2018/2957 दिनांक 04.07.2018 में अंग्रेजी/हिन्दी प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का कम्प्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु व्यवहारिकता एवं एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा में बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थियों से श्रेणीवार निम्नानुसार कम्प्यूटर एवं परीक्षा शुल्क लिया जायेगा:-

- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी व अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु: रुपये 450/-
- (ख) राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु: रुपये 350/-
- (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु: रुपये 250/-

अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि परीक्षण (Hindi/English Shorthand Test) हेतु उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर एवं परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID पर उपलब्ध स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के Admit Card Section पर जाकर ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे।

1. आशुलिपि परीक्षण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु परीक्षा से 15 दिन पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी सूचना यथासमय पृथक से दे दी जायेगी।
2. स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के फेज-I में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की फेज-II (Hindi/English Shorthand Test) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है :-

प्रश्न पत्र सं.	विषय	समय	अंक
1	अंग्रेजी ऑडियो क्लिप (Audio Clip)	10 मिनट	100
	अंग्रेजी में प्रतिलेखन एवं टंकण	60 मिनट	
2	हिन्दी ऑडियो क्लिप (Audio Clip)	10 मिनट	100
	हिन्दी में प्रतिलेखन एवं टंकण	70 मिनट	


फेज-II में अभ्यर्थी उपरोक्त दो प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेगा अर्थात् अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देना अनुमत होगा।

3. परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड, अभ्यर्थियों के लिये दिशा-निर्देश निम्नानुसार होंगे:-

## आशुलिपि परीक्षण के सामान्य दिशा निर्देश

- हिन्दी/अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलायी जायेगी।
- हिन्दी/अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलायी जायेगी।
- अभ्यर्थी अपनी चुनी हुयी भाषा की ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुतिलेखन करेगा।
- मुख्य श्रुतिलेख से पूर्व ट्रायल गद्यांश (Passage) का श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जायेगा जो गति मुख्य श्रुतिलेख के लिए निर्धारित है।
- ट्रायल गद्यांश (Passage) के प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है एवं ना ही प्रतिलेखन एवं टंकण का मूल्यांकन किया जायेगा।
- ट्रायल गद्यांश (Passage) के पश्चात मुख्य श्रुतिलेख ऑडियो सिस्टम से चलाया जायेगा जिसको परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई गई नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना होगा।
- श्रुतिलेख में अर्द्ध विराम को कोमा ( , ), पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन (पैराग्राफ चेंज/नैक्स्ट पैराग्राफ) को पैरा बोला जाएगा।
- अभ्यर्थियों को हिन्दी/अंग्रेजी के प्रतिलेखन एवं टंकण कुल 1000 (100 शब्द प्रति मिनट x 10 मिनट) शब्दों का होगा।
- अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गये श्रुतिलेख का प्रतिलेखन एवं टंकण कम्प्यूटर पर करेगा।
- हिन्दी भाषा के लिये प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु 70 मिनट का समय दिया जायेगा।
- अंग्रेजी भाषा के लिये प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु 60 मिनट का समय दिया जायेगा।
- अंग्रेजी/हिन्दी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.1 अंक निर्धारित होंगे।
- हिन्दी/अंग्रेजी में प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जायेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा किये गये प्रतिलेखन एवं टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नांकित त्रुटियों के अंक नहीं दिये जायेंगे :-
  - गलत वर्ण, शब्द या अंक लिखना
  - वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना
  - शब्दों या अंकों के स्थान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करना
  - वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना
  - विराम चिह्नों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करना।
  - शब्द-अंतराल में त्रुटि करना
  - अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्माल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना
  - हिन्दी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना
- अंग्रेजी प्रतिलेखन एवं टंकण के लिए "Times New Roman" एवं हिन्दी के लिए "DevLys 010" फॉन्ट (Font) का प्रयोग किया जायेगा।

## Hindi Keyboard



नोट:- यह की-बोर्ड केवल दृष्टांत रूप है, इसे DevLys 010 फॉन्ट के अनुरूप चैक कर लें। की-बोर्ड (Keyboard) की कुछ Keys DevLys 010 फॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत से भिन्न (Different) हो सकती है। उक्त की-बोर्ड (Keyboard) एक उदाहरण हेतु उपयोग में लिया गया है, अभ्यर्थी को DevLys 010 हिन्दी फॉन्ट ही हिन्दी प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु उपयोग करना है।

- अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जायेगा।
- परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कम्प्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें।
- अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात् कम्प्यूटर पर Login करके अभ्यास परीक्षण (Pratice Test) में अपने की-बोर्ड एवं माउस का परीक्षण करके सुनिश्चित कर लें कि की-बोर्ड एवं माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि कम्प्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। परीक्षा शुरू होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में अभिजागर को सूचित नहीं करने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- आशुलिपि परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाये गये सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद व सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा, अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि समय को नष्ट किये बगैर दिये गये दिशानिर्देशानुसार पूर्ण रूप से सही टाईप/प्रविष्टियाँ करने की कोशिश करें।
- परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन इत्यादि का प्रयोग वर्जित रहेगा।
- अभ्यर्थी अपना कोई की-बोर्ड एवं कोई की-बोर्ड स्टीकर साथ लेकर नहीं आवें। परीक्षा में किसी भी प्रकार के की-बोर्ड स्टीकर की अनुमति नहीं है।
- कम्प्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें अन्यथा इससे होने वाली समस्या के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- परीक्षा के दौरान Control (Ctrl) Key का उपयोग नहीं करें।
- प्रतिलेखन एवं टंकण के समय यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहता है तो Back-Space का उपयोग कर उसे सुधार सकता है।
- प्रतिलेखन एवं टंकण के समय किसी भी प्रकार के Tools जैसे Spell Check, Auto Correct इत्यादि का उपयोग वर्जित होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि दिये गये श्रुतलेख का ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन एवं टंकण करें।
- सम्पूर्ण आशुलिपि परीक्षण परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर किया जा सकता है।

- परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किये गये की-बोर्ड की कोई कुंजी (Key) काम नहीं करने की स्थिति में की-बोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- यदि किसी कारण से परीक्षा के दौरान कम्प्यूटर अथवा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो अभिजागर को तुरन्त सूचित करें जिसकी जाँच पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को दूसरे कम्प्यूटर पर बैठाया जायेगा एवं पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा किये गये रक्षित (Saved) कार्य से पुनः कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा सिस्टम से अभ्यर्थी को बाधित समय के आधार पर सिस्टम जनित Auto Grace Time (रियायत समय) दिया जायेगा।
- संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा/लिपि में लिखे गए श्रुतलेख को नहीं जांचा जाएगा। नोटबुक में अभ्यर्थी को रोल नम्बर, हस्ताक्षर एवं वांछित प्रविष्टियाँ निर्धारित स्थान पर करनी होंगी। श्रुतलेख लिखने हेतु नोटबुक परीक्षा स्थल पर उपलब्ध करायी जायेगी जिसे अभ्यर्थी को परीक्षा के उपरान्त अभिजागर को वापिस जमा कराना होगा। अभ्यर्थी श्रुतलेख हेतु पेन्सिल एवं रबर अपने साथ लेकर उपस्थित हों।
- अभ्यर्थी लेब/परीक्षा कक्ष को परीक्षा उपरान्त वीक्षक की अनुमति से ही छोड़ेंगे।
- आशुलिपि परीक्षण से पूर्व निर्धारित समय पर श्रुतलेख लिखने हेतु सामान्यतः ऑडियों क्लिप में निर्धारित प्रश्न पत्र सुनाया जायेगा।
- श्रुतलेख के समय किसी अभ्यर्थी को बोलने की अनुमति नहीं होगी यदि किसी के बोलने से व्यवधान होता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर करते हुये उसे डिबार किये जानी की कार्यवाही की जा सकती है।
- किसी अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करते हुये उसे/उन्हें डिबार किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
- परीक्षा स्थल पर वीक्षक द्वारा मौखिक अथवा ऑडियों सिस्टम द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से करनी होगी।
- परीक्षार्थी के एक बार परीक्षा कक्ष/लेब में प्रवेश करने के पश्चात् उसे परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष/लेब छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी आशुलिपि परीक्षण के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें अन्यथा निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात् गतिविधि की समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जायेगी एवं न ही उसके लिये कोई अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

  
 सचिव